69/24

69/2024

10.6.2024 पत्रावली वादिनी द्वारा वकील के माध्यम से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. वाद लंबित रहने तक विपक्षीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 आवश्यक पक्षकार हैं, उनकी तरफ से वकील श्री बीरसिंह उपस्थित हुआ। वादिनी के निवेदन किया कि विवादित भूमि के संबंध में पहले से ही वादी के पक्ष में अदालत की आज्ञा से प्रति होम स्टेज के आधार पर है। अब विवादित भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं है। वादिनी के दावे का हक प्राप्त हो चुका है। भविष्य में वादिनी विवादित भूमि के संबंध में कोई वाद विवाद नहीं करने हेतु पाबंद रहेगी। अतः पत्रावली आज्ञप्ति तालीका पर की जाकर वाद बिल्कुल खारिज किया जावे। प्रतिवादी पक्ष के भी वाद-पत्र खारिज किए जाने पर अस्वीकृति की गई।

हमने उभयपक्ष को सुना और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। यह उभयपक्ष ने स्वीकार किया है कि विवादित भूमि के संबंध में वादी के पक्ष में आज्ञा है। अब वाद-पत्र को खारिज करना नहीं चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि वाद हेतुक समाप्त हो गया है। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर पत्रावली आज्ञप्ति तालीका पर की जाती है। तथा वादिनी का वाद इसी तरह खारिज किया जाता है।

पत्रावली आज्ञप्ति होकर दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

RTI
पेश्यो
13 जून

अवराराम
13 जून

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.01 16:20:34 IST
Reason: SelfAttested